डॉ. रवि पराशर - याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ - प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए:- श्री सुधीर शर्मा, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए:- श्री दीपक सिब्बल , अधिवक्ता।

निर्णय

सूर्यकांत ज. (मौखिक) - याचिकाकर्ता दिनांक 26.11.2008 (अनुलग्नक-पी7) के आदेश को रद्द करने की मांग करता है, जिसके तहत 20 जुलाई, 1970 से 31 मार्च, 1974 तक उनके द्वारा की गई पिछली सेवा का लाभ सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को पूर्वोक्त सेवा को पेंशन और ग्रेच्युटी आदि के लिए अर्हक सेवा में गिनने का निर्देश देने का भी आदेश चाहता है।

2. याचिकाकर्ता को प्रतिवादी विश्वविद्यालय द्वारा 20 जुलाई, 1970 से नियुक्ति पत्र (अनुलग्नक आर/3) के माध्यम से रसायन विज्ञान विभाग में शिक्षण सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो इस प्रकार है: -

"श्री रवि पराशर

जूनियर रिसर्च फेलो

रसायनिकी विभाग,

पीयू चंडीगढ़

प्रिय महोदय,

विभाग में शिक्षण सहायक के पद के लिए आपके आवेदन के संदर्भ में रसायन विज्ञान, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि सिंडिकेट ने 18.07.1970 को आयोजित अपनी बैठक में आपको रसायन विज्ञान विभाग, पीयू चंडीगढ़, में शिक्षण सहायक (भौतिक रसायन विज्ञान) के रूप में रु. 350/- प्रतिमाह (निश्चित) की दर पर नियुक्त किया है, आपके काम शुरू करने की तारीख से, तीन साल की अवधि के लिए।

नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियमों/विनियमों के तहत नियंत्रित की जाएगी।

कृपया शिक्षण सहायक के रूप में ड्यूटी के लिए शीघ्र रिपोर्ट करना सुविधाजनक बनाएं।

आपका विश्वासी

एसडी/-

(हरकिशन सिंह)

सहायक रजिस्ट्रार (लेखा)

पंजाब यूनिवर्सिटी"

(जोर दिया गया)

3. याचिकाकर्ता की शिक्षण सहायक के रूप में नियुक्ति विधिवत सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई थी और उन्हें 31 मई, 1972 को विश्वविद्यालय द्वारा आवासीय आवास भी आवंटित किया गया था। उसके बाद याचिकाकर्ता को रुपये का पैमाना 700-1600/- के संशोधित वेतन में 01.04.1974 से शिक्षण सहायक के रूप में नियमित कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी पीएचडी पूरी की और उन्हें 01.04.1975 से दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान की गईं, जिसके बाद 01.09.1977 से व्याख्याता के रूप में उनकी पदोन्नति हुई। याचिकाकर्ता को जुलाई, 1989 में रीडर के रूप में आगे पदोन्नति मिली। याचिकाकर्ता को 31.08.1999 से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति होनी थी, लेकिन सेवानिवृत्ति की उम्र में वृद्धि की मांग के मामले में इस न्यायालय के आदेशों के तहत 31 अगस्त, 2001 तक सेवा जारी रखी।

4. याचिकाकर्ता को केवल 1 अप्रैल, 1974 से उसकी अर्हक सेवा की गणना करके उसके सेवानिवृत्ति देय का भुगतान किया गया है। विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति लाभों के लिए 20.07.1970 से 31.03.1974 तक उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ पाने का हकदार है या नहीं?

5. प्रतिवादी-विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर/शपथपत्र में कहा है कि विवाद की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा 'शिक्षण सहायक' के रूप में प्रदान की गई सेवा निश्चित परिलब्धियों पर 'कार्यकाल पद' पर थी और पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर वॉल्यूम- I, 2007 के विनियमन 17.9 के तहत कवर नहीं की गई है। इसमें 'अर्हकारी सेवा' का अर्थ है विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली 'निरंतर सेवा'।

6. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का तर्क है कि विषय अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा उनकी नियमित नियुक्ति के बाद सर्वोत्तम कार्य-प्रभारित सेवा थी और यह सेवानिवृत्ति सेवा लाभों के प्रयोजनों के लिए 'योग्य सेवा' में गिना जाने योग्य है, क्योंकि केसर चंद बनाम पंजाब राज्य, 1988(2) पीएलआर 233 में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा फैसला सुनाया गया ।

7. विवाद की सराहना करने के लिए, पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी (पेंशन) विनियम (केवल प्रासंगिक उद्धरण) के नियम 3.1 से 3.5 का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार हैं: -

"3.1. जब तक अन्यथा विशेष प्रावधान या अनुबंध द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, किसी कर्मचारी की सेवा पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए तब शुरू होगी जब वह उस पद का कार्यभार संभालेगा जिस पर वह पहली बार नियुक्त किया गया है।

3.2. मुआवज़ा ग्रेच्युटी को छोड़कर, सेवा तब तक योग्य नहीं होती जब तक कर्मचारी अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता।

3.3. निम्नलिखित सामान्य शर्तें हैं जिन्हें सेवा से पहले पेंशन के लिए पूरा किया जाना चाहिए : -

पहला: सेवा विश्वविद्यालय के अधीन होनी चाहिए जैसा कि इसमें आगे परिभाषित किया गया है।

दूसरा: सेवा का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा इसके बाद परिभाषित अनुसार किया जाना चाहिए।

3.4. अस्थायी कर्मचारियों को सभी सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में स्थायी कर्मचारियों के बराबर माना जाएगा। सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, मुआवजा और अमान्य पेंशन, सेवा उपदान, मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान, बशर्ते कि अस्थायी सेवा का पालन बिना किसी रुकावट के किया जाए।

3.5. किसी कर्मचारी द्वारा कार्य-प्रभारित के रूप में प्रदान की गई सेवा और साथ ही आकस्मिक व्यय से भुगतान की गई सेवा, पेंशन के लिए योग्य है बशर्ते:

(i) ऐसी सेवा के बाद नियमित नियुक्ति की जाती है।

(ii) ऐसी सेवा पूर्णकालिक नौकरी है (और अंशकालिक या दिन का हिस्सा नहीं)।"

(जोर दिया गया)

8. उपरोक्त पुनरुत्पादित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि जब तक नियमों के तहत किसी प्रावधान या नियुक्ति की शर्तों द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा जाता है, तब तक किसी कर्मचारी की सेवा पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने लगती है जब वह उस पद का प्रभार लेता है जिस पर वह सबसे पहले नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई और भुगतान की गई अस्थायी और कार्य-प्रभारित सेवा, भले ही आकस्मिकता से हो, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योग्य है, बशर्ते कि ऐसी सेवा के बाद नियमित नियुक्ति हो और यह पूर्णकालिक नौकरी हो।

9. याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने पूर्णकालिक 'शिक्षण सहायक' के रूप में काम किया था और उसे प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा वेतन का भुगतान किया गया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति हालांकि शुरू में तीन साल की अवधि के लिए थी लेकिन "विश्वविद्यालय के नियम और विनियमों के तहत शासित" थी। माना जाता है कि, याचिकाकर्ता ने 01.04.1974 से अपनी नियमित नियुक्ति के बाद निर्बाध रूप से सेवा की। याचिकाकर्ता की नियुक्ति को 'कार्यकाल नियुक्ति' नहीं कहा जा सकता क्योंकि 19.07.1973 को तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी, न तो इसे समाप्त किया गया और न ही नए सिरे से नवीनीकरण का आदेश पारित किया गया।

10. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति 20.07.1970 से एक परिवीक्षाधीन अधिकारी की तरह एक अस्थायी नियुक्ति के अलावा कुछ नहीं थी और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उसके काम और आचरण से पूरी तरह संतुष्ट होकर, 01.04. 1974 से याचिकाकर्ता की सेवा को नियमित कर दिया। इस प्रकार, विषय अवधि के लिए याचिकाकर्ता की सेवा ऊपर दिए गए नियम 3.2 से 3.5 की सभी सामग्रियों और पूर्व-शर्तों को पूरी तरह से संतुष्ट करती है और पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्य के लिए 'योग्य सेवा' में गिना जाने योग्य है।

11. उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है; आक्षेपित आदेश दिनांक 26.11.2008 (अनुलग्नक-पी7) को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा 20.07.1970 से 31.03.1974 तक प्रदान की गई सेवा को उसकी सेवानिवृत्ति सेवा लाभ आदि के उद्देश्य से 'अर्हक सेवा' के रूप में शामिल करें।

12. आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को परिणामी लाभ जारी किए जाएंगे।

13. तदनुसार आदेश दिया गया।

14. दस्ती।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्‌देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्‌देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्‌देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा